भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2109
दिनांक 12 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विद्युत वितरण कंपनियों पर वित्तीय दबाव

†2109. सुश्री कंगना रनौतः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है जिसमें सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानि, बकाया देय राशि और संचित हानि जैसे व्यापक संकेतक शामिल हैं;

(ख) सरकार द्वारा डिस्कॉम के वित्तीय दबाव को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या योजनाएं शुरू की गई हैं जिनमें टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने, हानि में कमी, भुगतान अनुशासन और प्रचालनात्मक दक्षता से संबंधित सुधार शामिल हैं;

(ग) वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार, घाटे में कमी लाने और सेवा प्रदायगी में वृद्धि सहित इन पहलों के अंतर्गत अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) उपभोक्ता हितों की रक्षा करते हुए डिस्कॉम की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा और क्या उपाय किए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : विद्युत वितरण यूटिलिटी पर पीएफसी की 14वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग एवं रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 31.03.2025 की स्थिति तक, डिस्कॉमवार समग्र एटीएंडसी हानियाँ, संचित अधिशेष/हानि तथा कुल उधारियों का ब्यौरा **अनुबंध** पर है।

(ख) से (घ) : (i) भारत सरकार वितरण यूटिलिटी की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार हेतु राज्यों को विभिन्न पहलों के माध्यम से सहायता कर रही है। इस संबंध में प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

I. संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएएस) वर्ष 2021 में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य वित्तीय रूप से स्थिर एवं प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता एवं

विश्वसनीयता में सुधार करना है। इस स्कीम के अंतर्गत निधियां जारी करना राज्यों/वितरण यूटिलिटी के वित्तीय एवं प्रचालनात्मक प्रदर्शन से संबद्ध है।

II. राज्य सरकारों को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5% के बराबर अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है, जो विद्युत क्षेत्र में विशिष्ट सुधारों, जिनमें वितरण यूटिलिटी का वित्तीय निष्पादन भी शामिल है, को लागू करने की शर्त पर आधारित है।

III. राज्य-स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण स्वीकृत करने हेतु वितरण यूटिलिटी के प्रदर्शन को निर्धारित शर्तों के आधार पर आँकने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

IV. ईंधन एवं विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) तथा लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ के कार्यान्वयन हेतु नियम बनाए गए हैं, ताकि विद्युत आपूर्ति संबंधी सभी विवेकपूर्ण लागतों को टैरिफ में समुचित रूप से पास थ्रू किया जा सके।

V. सब्सिडी के समुचित लेखांकन एवं समय पर भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु नियम एवं मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है।

VI. विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में भुगतान अनुशासन में सुधार के लिए विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार एवं संबंधित मामले) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं, जिनके अंतर्गत वितरण कंपनियों पर दिनांक 03.06.2022 तक की लंबित देनदारियों का चरणबद्ध निस्तारण तथा वर्तमान देयताओं का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने का दायित्व निर्धारित किया गया है।

(ii) केंद्र एवं राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय स्तर पर समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियाँ वित्त वर्ष 2020-21 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में 15.04% हो गई हैं, जबकि औसत आपूर्ति लागत एवं औसत प्राप्त राजस्व (एसीएस-एआरआर) अंतर 0.69 रू. प्रति यूनिट से घटकर 0.06 रू. प्रति यूनिट हो गया है। इन सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप वितरण कंपनियों ने पहली बार 2,701 करोड़ रू. का कर-पश्चात लाभ (पीएटी) अर्जित किया है।

(iii) राज्य-स्वामित्व वाली वितरण यूटिलिटी की वित्तीय देयताएं संबंधित राज्य सरकार की आकस्मिक देयताएं होती हैं और इन्हें उसी रूप में मान्यता दिया जाना आवश्यक है। वितरण कंपनियों की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए मसौदा राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी), 2026 तथा विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 में विभिन्न उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें विद्युत नियामक आयोगों (ईआरसी) द्वारा लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ का निर्धारण अनिवार्य करना, यदि राज्य आयोग द्वारा टैरिफ आदेश पारित न किया जाए तो स्वचालित वार्षिक संशोधन हेतु उपयुक्त सूचकांक से टैरिफ को जोड़ना, विवाद निवारण तंत्र को सुदृढ़ करना ताकि ईआरसी पर बोझ कम हो एवं विवादों का शीघ्र निपटान हो सके, तथा राज्य सरकारों को विशिष्ट उपभोक्ता वर्गों के लिए अग्रिम सब्सिडी प्रदान कर सहायता जारी रखने की सुविधा प्रदान करना शामिल है, जिससे किसी भी उपभोक्ता वर्ग पर अनुचित भार न पड़े।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 2109

अनुबंध

दिनांक 31.03.2025 तक डिस्कॉम-वार वित्तीय और प्रचालनात्मक मापदंड

राज्य/ डिस्कॉम	एटीएंडसी हानि (%)	एसीएस-एआरआर अंतर (रु./केडब्ल्यूएच)	संचित अधिशेष/ (हानि) (करोड़ रुपये)	कुल उधार (करोड़ रुपये)
राज्य क्षेत्र	**15.40**	**0.11**	**(6,77,561)**	**7,11,402**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	**24.14**	**2.22**	**-**	**-**
अंडमान और निकोबार पीडी	24.14	2.22	-	-
आंध्र प्रदेश	**7.87**	**(0.15)**	**(29,420)**	**77,583**
एपीसीपीडीसीएल	7.95	(0.62)	(9,688)	21,204
एपीईपीडीसीएल	7.70	(0.02)	(7,155)	20,693
एपीएसपीडीसीएल	7.99	(0.01)	(12,577)	35,687
अरुणाचल प्रदेश	**46.20**	**0.00**	**-**	**-**
अरुणाचल प्रदेश पीडी	46.20	0.00	-	-
असम	**15.44**	**(0.26)**	**(1,028)**	**1,131**
एपीडीसीएल	15.44	(0.26)	(1,028)	1,131
बिहार	**15.51**	**(0.41)**	**(16,526)**	**14,002**
एनबीपीडीसीएल	14.49	(0.57)	(4,917)	6,509
एसबीपीडीसीएल	16.35	(0.28)	(11,608)	7,494
छत्तीसगढ़	**14.25**	**(0.19)**	**(10,423)**	**5,428**
सीएसपीडीसीएल	14.25	(0.19)	(10,423)	5,428
दिल्ली	**8.36**	**(0.86)**	**-**	**-**
एनडीएमसी	8.36	(0.86)	-	-
गोवा	**10.39**	**0.20**	**-**	**-**
गोवा पीडी	10.39	0.20	-	-
गुजरात	**8.25**	**(0.40)**	**7,355**	**258**
डीजीवीसीएल	4.26	(0.46)	2,507	26
एमजीवीसीएल	8.37	(0.24)	877	9
पीजीवीसीएल	12.73	(0.44)	2,276	208
यूजीवीसीएल	6.16	(0.33)	1,695	15
हरियाणा	**11.76**	**0.10**	**(27,915)**	**20,311**
डीएचबीवीएनएल	12.20	0.03	(13,052)	12,099
यूएचबीवीएनएल	11.12	0.20	(14,862)	8,213
हिमाचल प्रदेश	**19.44**	**0.23**	**(3,391)**	**7,024**
एचपीएसईबीएल	19.44	0.23	(3,391)	7,024
झारखंड	**28.19**	**0.95**	**(20,512)**	**22,381**
जेबीवीएनएल	28.19	0.95	(20,512)	22,381
कर्नाटक	**11.92**	**0.69**	**(34,980)**	**47,993**
बेस्कॉम	12.50	1.21	(13,819)	22,611
चेस्कॉम	8.76	0.36	(4,064)	5,410
गेस्कॉम	13.48	0.10	(5,661)	6,147
हेस्कॉम	12.14	0.23	(11,398)	12,251
मेस्कॉम	10.02	(0.00)	(37)	1,575
केरल	**6.61**	**(0.17)**	**(38,648)**	**17,638**
केएसईबीएल	6.61	(0.17)	(38,648)	17,638
टीसीईडी	6.94	(0.13)	-	-

लद्दाख	**26.82**	**(0.89)**	**-**	**-**
लद्दाख पीडी	26.82	(0.89)	-	-
मध्य प्रदेश	**22.76**	**(0.04)**	**(71,394)**	**49,239**
एमपीएमएकेवीवीसीएल	29.60	0.22	(30,900)	18,176
एमपीपीएकेवीवीसीएल	12.78	(0.36)	(12,503)	14,184
एमपीपीओकेवीवीसीएल	26.66	0.02	(27,992)	16,878
महाराष्ट्र	**17.69**	**0.56**	**(35,671)**	**90,659**
बीईएसटी	5.07	0.60	-	-
एमएसईडीसीएल	18.09	(0.70)	(35,671)	90,659
मणिपुर	**12.90**	**(0.20)**	**(290)**	**745**
एमएसपीडीसीएल	12.90	(0.20)	(290)	745
मेघालय	**17.52**	**0.13**	**(4,962)**	**1,474**
एमईपीडीसीएल	17.52	0.13	(4,962)	1,474
मिजोरम	**32.31**	**(0.34)**	**-**	**-**
मिजोरम पीडी	32.31	(0.34)	-	-
नागालैंड	**48.86**	**(0.50)**	**-**	**-**
नागालैंड पीडी	48.86	(0.50)	-	-
पुडुचेरी	**14.72**	**(0.64)**	**-**	**-**
पुडुचेरी पीडी	14.72	(0.64)	-	-
पंजाब	**19.21**	**(0.30)**	**(3,404)**	**17,411**
पीएसपीसीएल	19.21	(0.30)	(3,404)	17,411
राजस्थान	**15.18**	**(0.04)**	**(90,303)**	**98,488**
एवीवीएनएल	9.22	(0.45)	(25,563)	26,126
जेडीवीवीएनएल	21.42	0.02	(34,689)	36,793
जेवीवीएनएल	13.75	0.18	(30,052)	35,569
सिक्किम	**21.84**	**0.33**	**-**	**-**
सिक्किम पीडी	21.84	0.33	-	-
तमिलनाडु	**10.96**	**(0.19)**	**(1,19,153)**	**1,01,782**
टीएनपीडीसीएल	10.96	(0.19)	(1,19,153)	1,01,782
तेलंगाना	**19.84**	**0.27**	**(69,741)**	**59,230**
टीएसएनपीडीसीएल	23.22	0.53	(21,399)	21,885
टीएसएसपीडीसीएल	18.51	0.17	(48,342)	37,345
त्रिपुरा	**29.61**	**1.40**	**(991)**	**842**
टीएसईसीएल	29.61	1.40	(991)	842
उत्तर प्रदेश	**19.54**	**0.73**	**(1,00,858)**	**61,395**
डीवीवीएनएल	19.70	1.03	(33,974)	16,412
केस्को	14.29	1.09	(5,232)	2,243
एमवीवीएनएल	17.70	1.11	(25,236)	14,338
पीएवीवीएनएल	11.91	(0.29)	(8,782)	6,562
पीयूवीवीएनएल	30.70	1.30	(27,634)	21,840
उत्तराखंड	**15.08**	**0.06**	**(5,482)**	**1,729**
यूपीसीएल	15.08	0.06	(5,482)	1,729
पश्चिम बंगाल	**17.17**	**(0.03)**	**174**	**14,658**
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	17.17	(0.03)	174	14,658
निजी क्षेत्र	**10.05**	**(0.64)**	**30,351**	**14,975**
दिल्ली	**6.48**	**(1.13)**	**22,184**	**2,914**
बीआरपीएल	6.70	(0.89)	12,892	894
बीवाईपीएल	7.15	(0.95)	5,650	701
टीपीडीडीएल	5.70	(1.58)	3,642	1,319
गुजरात	**3.63**	**(0.42)**	**3,892**	**3,562**

टोरेंट पावर अहमदाबाद	3.80	(0.30)	3,206	3,354
टोरेंट पावर सूरत	3.24	(0.67)	686	208
महाराष्ट्र	**4.99**	**(2.04)**	**1,245**	**3,818**
एईएमएल	4.99	(2.04)	1,245	3,818
ओडिशा	**17.81**	**0.18**	**1,263**	**4,531**
टीपीएनओडीएल	12.51	(0.06)	480	1,006
टीपीएसओडीएल	23.36	0.82	219	1,498
टीपीडब्ल्यूओडीएल	17.64	0.36	301	1,093
टीपीसीओडीएल	19.11	(0.09)	262	933
उत्तर प्रदेश	**8.48**	**(0.15)**	**1,561**	**0**
एनपीसीएल	8.48	(0.15)	1,561	0
पश्चिम बंगाल	**4.68**	**0.19**	**205**	**151**
आईपीसीएल	4.68	0.19	205	151
कुल योग	**15.04**	**0.06**	**(6,47,210)**	**7,26,378**

****